इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति माह 40/ रुपए

(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक

उत्कृष्टता के

प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 12 अंक संख्या: 6 जनवरी, 2020 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---2

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---4

बैंकिंग जगत की घटनाएँ--5

बीमा---6

विदेशी मुद्रा ---7

शब्दावली ---8

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------------------------------8

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां --8

संस्थान समाचार ---9

नयी पहलकदमी --14

बाजार की खबरें ---14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

16 दिसंबर, 2019 से उपलब्ध होंगी 24 घंटे नेफ्ट लेनदेन सुविधाएं

डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने की एक मुहिम में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली के अधीन 16 दिसंबर, 2019 से चौबीसों घंटे लेनदेनों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उसने यह भी कहा है कि 24x 7 राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली छुट्टियों/अवकाशॉ के दिनों सहित वर्ष के सभी दिनों को उपलब्ध होगी।

नेफ्ट निपटान के लिए नयी चलनिधि सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (NEFT) भुगतान प्रणाली के अधीन 24x 7 निधि निपटान को समर्थ बनाने के लिए एक और अंत: दिवसीय चलनिधि सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक दिन में एक बार संपार्श्वीकृत (collaterised) चलनिधि समायोजन सुविधा प्रदान करता है तथा बैंक सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) कही जाने वाली एक आकस्मिक सुविधा के तहत अतिरिक्त चलनिधि उधार ले सकते हैं।

निपटान के मुद्दे के बारे में बैंकों द्वारा शंकाएँ व्यक्त किए जाने के परिणामस्वरूप अनन्य रूप से निपटान के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की इस नयी सुविधा से दबाव में

उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। सभी बैंक अंत: बैंक सुविधा के पात्र होंगे, जबकि ऐसी सुविधा की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

चलनिधि सहायता (liquidity support) सुविधा के अधीन दिवसांत पर बकाया आहरण सीमांत स्थायी सुविधा के तहत स्वयमेव उधार में रूपांतरित हो जाएगा।

उक्त सीमांत स्थायी सुविधा पुनर्खरीद (repo) दर पर की जाने वाली नियमित चलनिधि परिचालनों की अपेक्षा 25 आधार अंक से अधिक के अंतर पर प्रदान की जाती है। बैंकों को अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने तथा एक अन्तरिम उपाय के रूप में उनके चलनिधि प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने (चलनिधि को अवशोषित कर लेने वाली) एक अतिरिक्त स्थायी दर वाली प्रतिवर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) तथा सभी दिनों को (थोड़ी उच्चतर लागत पर उधार देने वाली) सीमांत स्थायी सुविधा उपलब्ध कराया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं, बैंकेतर संस्थाओं को नए पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी करने की अनुमति दी

कम मूल्य वाले डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि पूर्व-प्रदत्त लिखत (PPI) जारीकर्ता एक नए प्रकार के सीमित अवधि वाले (semi-closed) पूर्व-प्रदत्त लिखत का प्रवर्तन कर सकते हैं, जिसके द्वारा इन लिखतों में भारित रकम 1.20 लाख रुपए तक हो सकती है। पूर्व-प्रदत्त लिखत धारक के न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद बैंक और बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए जा सक्ने वाले इन पूर्व-प्रदत्त लिखतों को स्वरूप की दृष्टि से पुनरभरणीय (reloadable) होना चाहिए तथा उन्हें या तो कार्ड या फिर इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी किया जाना चाहिए। भरण/पुनर्भरण का कार्य केवल किसी बैंक खाते से किया जा सकता है।

उक्त परिपत्र के अनुसार पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं को यह विकल्प प्रदान किया जाएगा कि वे उक्त पूर्व-प्रदत्त लिखत को किसी भी समय बंद कर सकें तथा बंद करते समय निधियों को ''स्रोत पर वापस'' (back to source) कर सकें। इस प्रकार के पूर्व-प्रदत्त लिखतों की विशेषताएँ पूर्व-प्रदत्त लिखत धारक को एसएमएस/ई-मेल/डाक अथवा किसी

अन्य साधन द्वारा पूर्व-प्रदत्त लिखत के जारी किए जाने के समय/निधियों के पहले भरण से पहले सुस्पष्ट रूप से सूचित की जाएंगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पी2पी प्लेटफार्म पर उधार को 50 लाख रुपए तक सीमित किया

उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कपनियों (NBFCs) द्वारा किए जाने वाले समकक्ष से समकक्ष (P2P) प्लेटफार्म पर उधार परिचालन के संबंध में किसी ऋणदाता का सभी उधारकर्ताओं के प्रति अनुमेय एक्सपोजर किसी भी नियत समयावधि में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। समकक्ष से समकक्ष प्लेटफार्म पर 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश करने वाला ऋणदाता समकक्ष से समकक्ष को किसी व्यवसायरत सनदी लेखाकार (chartred Accountant) से 50 लाख रुपए की न्यूनतम मालियत को प्रमणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार समकक्ष से समकक्ष उधार के तहत निधियों का अंतरण एक ऐसी निलंब लेखा व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है जो किसी बैंक प्रवर्तित न्यासी द्वारा परिचालित होती है। इसके लिए कम से कम दो निलंब लेखों को रखे जाने की आवश्यकता होती है, एक ऋणदाता से प्राप्त तथा संवितरित न की गई निधियों के लिए और दूसरा उधारकर्ताओं से की जाने वाली वसूलियों के लिए। इसमे यह भी अनिवार्य होता है कि बैंक खातों के जरिये किए जाने वाले सभी लेनदेन पूर्णत: निषिद्ध हों।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आसान आस्ति बिक्री के लिए समायावधि बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकेतर ऋणदाताओं द्वारा आस्तियों की बिक्री हेतु शिथिलीकृत शर्तों की उपलब्धता को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। इसके पूर्व यह व्यवस्था 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त होने वाली थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी

पात्र आस्तियां प्रतिभूत करने अथवा सौंपने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ने प्रवर्तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पाँच वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में न्यूनतम धारिता अवधि (MHP) से संबन्धित

आवश्यकता को पूर्ववर्ती एक वर्ष से घटाकर छः माह कर दिया था। ऋण समूहों के मामले में इस व्यवस्था का लाभ उठाने का पात्र बनने के लिए इस प्रकार के प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (MRR) आवश्यक रूप से सौंपी गई आस्ति से होने वाले नकदी प्रवाहों की 20% होनी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों से प्रबन्धन बोर्ड गठित करने के लिए कहा

शहरी सहकारी बैंकों पर निगरानी को बढ़ाने के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन ऋणदाताओं में प्रबन्धन बोर्ड (BoM) के गठन के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के जमा आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों (BoDs) को प्रबन्धन बोर्ड का गठन करना चाहिए। इन दिशनिर्देशों में प्रबन्धन बोर्डों को शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग से संबन्धित कार्यों पर निगरानी रखने हेतु विशेष अधिकार/शक्तियाँ प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इन दिशानिर्देशों को स्वैच्छिक आधार पर अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया है।

प्रबंधन बोर्डों के मुख्य कार्यों में अनर्जक आस्तियों की वसूली, एकबारगी निपटान के लिए कार्रवाई की सिफ़ारिश करना, उनकी निगरानी करने में बोर्ड की सहायता करना शामिल है । भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रबंधन बोर्ड में (मुख्य कार्यपालक अधिकारी को छोडकर) न्यूनतम पाँच सदस्य होंगे तथा सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-मताधिकार वाला सदस्य होगा। प्रबंधन बोर्ड का कार्यकाल निदेशक मण्डल के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों को उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। बैंकिंग विनियामक ने यह विनिर्दिष्ट

कर दिया है कि निदेशक मण्डल शीर्ष नीति-निर्धारक निकाय बना रहेगा तथा वह किसी शहरी सहकारी बैंक के सामान्य दिशानिदेश देने एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदाई होगा। वह संबन्धित सहकारी सोसाइटी अधिनियम में यथा-वर्णित विधि के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता रहेगा।

बीमा

बिक्री केंद्र पर उपलब्ध जीवन बीमा उत्पादों के लिए इर्डाई के मानदंड

एक ऐसी मुहिम जो जीवन बीमा उत्पादों तक पहुँच को सरल बनाएगी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बिक्री केंद्र (PoS) पर उपलब्ध उत्पादों और कार्मिकों के लिए मानदंड जारी किए हैं। बीमा विनियामक के मास्टर परिपत्र के अनुसार बिक्री केन्द्रों के जरिये प्रतिलाभ प्रीमियम सहित या रहित विशुद्ध मीयादी बीमा उत्पाद, असम्बद्ध, गैर सहभागिता वाले बंदोबस्ती उत्पाद, तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद और नियत लाभ सहित असम्बद्ध, गैर-सममूल्य वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद उपलब्ध कराये जा सकते हैं। बिक्री केंद्र वाले व्यक्ति (PoSP) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

इर्डाई ने बीमाकर्ताओं को शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली सीपीएसई प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित ऋण निधियों में निवेश करने की अनुमति दी

भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने शेयर बाजार में खरीदी -बेची जाने वाली ऋण निधियों (ETFs) में निवेश को अनुमोदित कर दिया है। भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण पारस्परिक निधि (Mutual Fund) एक्सपोजर के एक भाग के रूप में निवेश की एक पात्र श्रेणी के रूप में भारत में प्रवर्तित की जाने वाली सार्वजनिक क्षेत्रके केंद्रीय उद्यमों (CPSEs) की अंतर्निहित ऋण प्रतिभूतियों सहित शेयर बाजार में खरीदी-

बेची जाने वाली ऋण निधियों (debt ETFs) की अनुमति देता है। विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण ईटीएफ भारतीय प्रतिभूति औए विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत तथा विनियामक द्वारा अभिशासित पारस्परिक निधियों द्वारा जारी की जानी चाहिए। ऋण ईटीएफ को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय

उपक्रमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के ऐसे समूह में निवेश करना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचकांक हो। श्रेणी-निर्धारण का सामान्य मानदंड बीमा विनियामकों के वर्तमान निवेश मानदंडों के अनुरूप होंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 दिसंबर, 2019 के दिन बिलियन रुपए	27 दिसंबर, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3264729	457468
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3032614	424936
(ख) सोना	195484	27392
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10281	1,441
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	26349	3700

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.76100	1.66190	1.65010	1.65900	168300
जीबीपी	0.75450	0.8226	0.847	0.8847	0.9169
यूरो	-0.31030	-0.289	-0.238	-0.172	**-0.118**
जापानी येन	0.03500	0.035	0.040	0.045	0.055
कनाडाई डालर	2.16000	1.999	2.016	2.031	2.046
आस्ट्रेलियाई डालर	0.85700	0.909	0.969	1.137	1.203
स्विस फ्रैंक	-0.60000	-0.601	-0.550	-0.493	-0.429

डैनिश क्रोन	-0.18900	-0.152	-0.100	-0.038	-0.030
न्यूजीलैंड डालर	1.24300	1.268	1.315	1.375	1.443
स्वीडिश क्रोन	0.19700	0.228	0.272	0.338	0.400
सिंगापुर डालर	1.43250	1.413	1.425	**1.465**	1.500
हांगकांग डालर	2.18500	2.070	2.040	2.030	2.020
म्यामार	3.29000	3.270	3.290	3.320	3.350

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई, 2011 में एक-दिवसीय (overnight) अंतर-बैंक दरों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। उक्त योजना बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्खरीद (repo) दर से उच्चतर दर पर एक-दिवसीय उधार लेने में समर्थ बनाती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अंतरण मूल्य-निर्धारण

अंतरण मूल्य-निर्धारण से आशय है बैंक के संसाधनों की लागत और आस्तियों से प्रतिलाभ का यथोचित विधि से निर्धारण करना। खजाना बैंक की जमाराशियों और ऋणों को आनुमानिक रूप से खरीदता और बेचता है। वह खरीद/बिक्री मूल्यों का निर्धारण ब्याज की बाजार दरों, बाजार जोखिम को प्रतिरक्षित करने की लागत तथा बैंक की आरक्षित आस्तियों को अनुरक्षित रखने की लागत के आधार पर करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	16 से 18 जनवरी, 2020 तक	दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक हेतु कक्षा में प्रशिक्षण	17 से 19 जनवरी, 2020 तक	मुंबई
महा प्रबन्धको/उप महा प्रबन्धकों/सहायक महा प्रबन्धकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	20 से 21 जनवरी, 2020 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक हेतु कक्षा में प्रशिक्षण	22 से 24 जनवरी, 2020 तक	चेन्नै
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	22 से 24 जनवरी, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों में वसूली प्रबंधन पर कार्यक्रम	22 से 24 जनवरी, 2020 तक	दिल्ली
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	22 से 24 जनवरी, 2020 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	27 से 29 जनवरी, 2020 तक,	दिल्ली
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद का मुक़ाबला पर कार्यक्रम	27 से 29 जनवरी, 2020 तक	मुंबई
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	29 से 31 जनवरी, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान : कोलकाता में नए परिसर का उद्घाटन और 1 फरवरी, 2020 को बैंकों के मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रमुखों की बैठक

संस्थान ने कोलकाता में स्वयं अपना परिसर खरीद लिया है जिसका उदघाटन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एवं इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार द्वारा किया जाएगा। 59 ए, अवनि हाइट्स, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (रबीन्द्र सदन मेट्रो स्टेशन के पास), 2री मंजिल, कोलकाता-700 020 में स्थित उक्त

परिसर में इन्टरनेट के माध्यम से प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा/कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु एक स्टुडियो सहित अधुनातन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अपने परिसर के उदघाटन के साथ-साथ संस्थान शनिवार, 1 फरवरी, 2020 को अपरानह 2.30 बजे से 4.00 बजे तक होटल हिंदुस्तान इन्टरनेशनल, ए-235/1, एजेसी बोस मार्ग, कोलकाता- 700-020 में बैंकों के मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रमुखों की बैठक का भी आयोजन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठापूर्ण 36वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान भी 1 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 4.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक उसी स्थल पर आयोजित किया जाने वाला है। उक्त व्याख्यान एनसीलैट (NCLAT) के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एस॰ जे॰ मुखोपध्याय द्वारा ''आईबीसी एंड इट्स इम्पैक्ट आन दी एकोनामी'' विषय पर दिया जाने वाला है।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा पूर्णत: निधीयन सुविधा प्राप्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) तथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की एक पहलकदमी है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्त उद्योग के प्रति महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। वे क्षेत्र जिनमें शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। उक्त योजना 15-10-2019 से 14-01-2020 तक खुली है।

सूक्ष्म/स्थूल आलेख आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/ स्थूल आलेख प्रस्तुत किए जाने हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध

हैं। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। विवरण के लिए **www.iibf.org.in.** देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता

के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-

समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति

से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार

संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के

प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये

पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने

तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- आल्टरनेटिव चैनेल्स आफ इन्वेस्टमेंट्स- सब-थीम्स : म्यूचुअल फंडस, पोस्ट आफिस एंड बैंक डिपोजिट्स एंड अदर्स जनवरी - मार्च, 2020

- स्ट्रैटेजिक टेकनालोजी ट्रेंड्स इन बैंकस - सब थीम्स : ट्रेडीशनल लेंडिंग टू डिजिटल फलो बेस्ड लेंडिंग , फिंटेक लैंडस्केप इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरिएन्स अप्रैल - जून, 2020

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा

जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की

महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक की

महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5

4.9

4.8

4.7

जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूज़लेटर, दिसंबर, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100

95

90

85 शृंखला 1

80 **शृंखला 2**

75 **शृंखला 3**

70 शृंखला 4

65

60

जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अकतूबर, 2019, नवम्बर, 2019,दिसंबर, 2019

स्रोत: फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

14

13

12

11

10

9

8

7

6

जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00

41000.00

40000.00

39000.00

38000.00

37000.00

36000.00

35000.00

जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितम्बर, 2019, अकतूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

12

11

10

9

8

जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,

किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070

टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जनवरी, 2020